

## फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री संजय

किस्म मुकदमा -212 रा.का. अधिनियम

विपक्षी : श्री भंवरलाल

पत्रावली संख्या : 18/24

जीसीएमएस : 2024/52

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण   | हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं |
|---------|---|--|
|         | <p>दिनांक : 25.10.2024</p> <p>पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थी मय प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र तलबी मय वाद विद्दो का पेश करने पर तलब की गई।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र तलबी मय विद्दो का पेश कर प्रकरण को इसी स्तर पर विद्दो किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी को प्रार्थना पत्र वाद विद्दो पर सुना गया तथा प्रार्थना पत्र वाद विद्दो को पढकर अधिवक्ता प्रार्थी मय प्रार्थी को सुनाया गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया। प्रार्थी की पहचान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई।</p> <p>चूंकि अधिवक्ता प्रार्थी मय प्रार्थी अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा इसी स्तर पर विद्दो कर खारिज करवाना चाहते हैं। ऐसे में प्रकरण को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विद्दो का स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर विद्दो फरमाया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p>(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)<br/>सहायक कलक्टर<br/>(SDO) मावली</p> |  |

